उर्मिला देवी एवं अन्य

बनाम

शाखा प्रबंधक, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लि. और अन्य

(सिविल अपील संख्या 838/2020)

30 जनवरी, 2020

[एस ए बोबडे सीजीआई, बीआर गवई, सूर्यकांत,जे.जे.]

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया गया: 1.1 बिहार मोटर वाहन नियम, 1992 के नियम 249 को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है । कि दावेदार एक प्रतिआपत्ति दायर करने के हकदार होंगे। हालाँकि, इसने दावेदारों के प्रतिआपत्ति दाखिल करने के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया। आपत्ति केवल तभी की जाती है जब बीमा कंपनी द्वारा मुआवजे की मात्रा को चुनौती देते हुए अपील दायर की जाती है । यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब बीमा कंपनी ने राशि को चुनौती नहीं दी है केवल क्षतिपूर्ति भुगतान करने के अपने दायित्व को चुनौती इस आधार पर देता है कि चालक और / या वाहन के मालिक द्वारा नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया है, दावेदारों की प्रतिआपत्ति मान्य नहीं होगी । धारा 173 एम. वी. अधिनियम में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति दावा न्यायाधिकरण का निर्णय से पीडित है, उसकी उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उप धारा (2) धारा 173 के तहत दावा न्यायाधिकरण के किसी अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील दायर न करने के संबंध में है यदि राशि अपील में विवाद में दस हजार रुपये से कम है। स्वयं उच्च न्यायालय के एकलन्यायाधीश ने कहा कि नियम 249, बिहार मोटर वाहन नियम, 1992, प्रतिआपत्ति की स्थिरता के संबंध में कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। बिहार मोटर वाहन नियम, 1992 के नियम 249 के नियम (3) से पता चलेगा कि उप-नियम (1) और (2) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, सी. पी. सी. की पहली अनुसूची में आदेश 41 और आदेश 21 के प्रावधान उच्च न्यायालय में धारा 173 एम. वी. अधिनियम के तहत दायर अपील पर लागू होगा धारा 173 एम. वी. अधिनियम, बिहार मोटर वाहन नियम, 1992 के नियम 249 और सी. पी. सी. की आदेश 41 नियम 22 एक साथ पढ़ने से यह प्रकट होगा कि किसी भी पक्ष के अपील करने के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है । यह स्पष्ट है कि निर्णय के किसी भी भाग से व्यथित कोई भी पक्ष अपील

करने का हकदार होगा। यह भी स्पष्ट है कि कोई भी प्रत्यर्थी, हालाँकि उसने अपने पक्ष में निष्कर्ष का समर्थन करने के अलावा डिक्री के किसी भी हिस्से से अपील नहीं की होगी, वह उस डिक्री पर कोई भी प्रति आपत्ति लेने का भी हकदार है जिसे वह अपील के माध्यम से ले सकता था।

1.2 जब किसी अपील में अपीलार्थी कोई भी आधार उठा सकता था जिसके खिलाफ वह व्यथित है, तो न्यायालय ऐसा करने में विफल रहता है कि कैसे एक प्रतिवादी को दूसरे पक्ष द्वारा दायर अपील में प्रति आपत्ति दर्ज करने से इनकार किया जा सकता है जो निर्णय के उस हिस्से को चुनौती देता है जिससे वह व्यथित था। उच्च न्यायालय द्वारा एम.वी. की धारा 173 के प्रावधानों, बिहार मोटर वाहन 1992 का नियम 249; और सी. पी. सी. का आदेश 41 नियम 22 के संयुक्त पठन में किया विभेद अपेक्षित नहीं है । उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरदाताओं (बीमा कंपनी) द्वारा दायर अपील में प्रार्थना खंड से यह देखा जा सकता है कि पूरे निर्णय को उत्तरदाताओं-बीमा कंपनी द्वारा चुनौती दी गई थी। इतना ही नहीं, बल्कि अपीलकर्ताओं (दावेदारों) को भी पक्षकार के रूप उक्त अपील में उत्तरदाता के रुप में शामिल किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने योग्यता के आधार पर अपीलार्थियों (दावेदारों) की प्रति आपत्ति पर विचार करने से इनकार कर दिया। सी. पी. सी. के आदेश 41 के नियम 22 के उप-नियम (4) में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि भले ही मूल अपील वापस ले ली गई हो या चूक के लिए खारिज कर दी गई हो, फिर भी अन्य पक्षों को इस तरह के नोटिस के बाद प्रति आपत्ति की सुनवाई और निर्धारण किया जाएगा जैसा कि न्यायालय उचित समझता है। इसलिए, भले ही बीमा कंपनी की अपील खारिज कर दी गई थी और बीमा कंपनी ने प्रस्तुत किया था कि वे अपील को फिर से शुरू करने में रुचि नहीं रखते थे, फिर भी उच्च न्यायालय को योग्यता और कानून के अनुसार यहां अपीलार्थियों की प्रति आपत्ति पर निर्णय लेने की आवश्यकता थी।

1.3 विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर खारिज कर दिया जाता है। वर्तमान अपीलार्थियों द्वारा दायर प्रति आपत्ति उसकी योग्यता के आधार पर निर्णय लेने के लिए मामला उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है।

दिल्ली नगर निगम और अन्य बनाम इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसी लिमिटेड (2004) 3 एस. सी. सी. 250: [2003] 1 एस. सी. आर. 951;

बहादुरमल बनाम विज्ञातुन्निसा वेगम ए. आई. आर. 1964 ए. पी. 365;

इनायतुल्ला खान बनाम दीवानचंद महाजन ए. आई. आर. 1959 एम. पी. 58;
रामसरय सिंह और **अन्य** बनाम विभीषण सिन्हा ए. आई. आर. 1950 कैल 372;

बारु राम बनाम प्रसन्नी एयर 1959 एससी 93 :[1959] एससीआर 1403;

अधीक्षण अभियंता और अन्य बनाम बी. सुब्बा रेड्डी (1999) 4 एससीसी 423: [1999] 2 एससीअर 880-संदर्भित किया गया।

<u>सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील स. 838/2020</u>

पटना उच्च न्यायालय, न्याय क्षेत्र के दिनांक 21.01.2016 के निर्णय और आदेश विविध अपील स. 521/2011 में ।

अभिवक्ता शिवम सिंह, रोहित कुमार सिंह, गुरप्रीत सिंह गुप्ता, गुशरण मौर्य, अनिमेष कुमार, सुमित कुमार, राणा प्रशांत, नीर शेखर, अभिवक्ता । अपीलार्थियों के लिए ।

अभिवक्ता अशोक कुमार शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, परमानंद गौर, क्षितिज मुद्गल एकनाथ बंसल, अखिल शर्मा, । उत्तरदाताओं के लिए ।

<u>न्याय</u>

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गया:

1. अपील स्वीकृत

2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

3. वर्तमान अपील विविध अपील संख्या 521/2011 में पटना उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 21.01.2016 के निर्णय और आदेश को चुनौती देती है, जिससे दावेदार की प्रति आपत्ति को बनाए रखने योग्य नहीं माना गया।

4. वर्तमान अपील के निर्णय के लिए आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं:

5. 2.5.2008 को, अपीलकर्ता नंबर 1 के पति संजय तांती; अपीलार्थी क्रमांक 2 से 4 के पिता और अपीलार्थी क्रमांक 5 के पुत्र की दुर्घटना हो गई जब वह टाटा मैक्सी से लदमा से गोराडीह जा रहे थे। अपीलकर्ताओं ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (इसके बाद " एमवी अधिनियम " के रूप में संदर्भित) की धारा 166 के तहत दावा याचिका दायर की । वाहन के मालिक को प्रतिद्वंद्वी नंबर 1 के रूप में शामिल किया गया था; वाहन के ड्राइवर को प्रतिद्वंद्वी नंबर 2 के रूप में शामिल किया गया था, जबकि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (इसके बाद "बीमा कंपनी" के रूप में संदर्भित) को प्रतिद्वंद्वी नंबर 3 और 4 के रूप में शामिल किया गया था।

6. बीमा कंपनी का दावा था कि वाहन के चालक और मालिक ने बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है और इस प्रकार, वे मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

7. मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (इसके बाद इसे "न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित किया गया है) ने दिनांक 29.1.2011 के निर्णय और आदेश के माध्यम से बीमा कंपनी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वाहन के चालक और मालिक ने नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया था और दावा याचिका को स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिनांक 29.1.2011 के अनुसार दावेदारों को 2,47,500 रुपये का मुआवजा स्वरूप देने का निर्देश दिया।

8. विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और पंचाट से व्यथित होकर, बीमा कंपनी ने विविध को प्राथमिकता दी। 2011 की अपील संख्या 521 में उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष यह तर्क दिया गया कि विद्वान न्यायाधिकरण ने गलती से उस पर दायित्व तय कर दिया था। उक्त अपील में, यहां अपीलकर्ताओं द्वारा एक प्रति आपत्ति दायर किया गया था। जब अपील सुनवाई के लिए आई, तो यह देखा गया कि कार्यालय की आपत्तियों के अभाव में अपील खारिज कर दी गई थी और अपीलकर्ताओं (बीमा कंपनी) के अधिवक्ता ने कहा कि अपीलकर्ताओं (बीमा कंपनी) को अपील को पुनर्जीवित करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस प्रकार, अपील का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा कर दिया गया। जहां तक यहां अपीलकर्ताओं (दावेदारों) की प्रति आपत्ति का सवाल है, उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.01.2016 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के तहत अभिनिर्धारित किया कि जब बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील केवल अपने दायित्व से इनकार करने तक ही सीमित है। मुआवजे का भुगतान, तो ऐसे मामले में अपील के रूप में दावेदारों के आदेश पर प्रति आपत्ति मान्य नहीं होगी।

हालाँकि, यह माना गया कि यदि बीमा कंपनी अपील में मुआवजे की मात्रा को चुनौती देती है, तो ऐसे मामले में, दावेदार को नागरिक प्रक्रिया संहिता के **आदेश** XLI नियम 22 के संदर्भ में आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा। , 1908 (इसके बाद इसे "सीपीसी" के रूप में संदर्भित किया गया है) और, इस प्रकार, प्रति आपत्ति को रखरखाव योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया।

9. बिहार मोटर वाहन नियम, 1992 के नियम 249 के मद्देनजर, पटना उच्च न्यायालय ने माना है कि बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील में दावेदार(ओं) को प्रति आपत्ति दायर करने में कोई बाधा नहीं है, यदि बीमा कंपनी ने दावेदार को दिए गए मुआवजे की मात्रा को चुनौती दी। हालाँकि, यह माना गया कि यदि बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील केवल वाहन मालिक और/या वाहन के चालक द्वारा बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के आधार पर मुआवजे का भुगतान करने के उसके दायित्व तक ही सीमित है। , तो दावेदार द्वारा दायर प्रति आपत्ति मान्य नहीं होगी। यह माना गया है कि ऐसे मामले में दावेदार को एमवी अधिनियम की धारा 173 के तहत अपील दायर करने का अधिकार होगा।

10. पीड़ित होकर, अपीलकर्ता विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील के माध्यम से हमारे समक्ष उपस्थित हैं।

11. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में पूरी तरह से गलती की है कि दावेदारों द्वारा दायर की गई प्रति आपत्ति सुनवाई योग्य नहीं थी क्योंकि अपीलकर्ता बीमा कंपनी ने मुआवजे की मात्रा को चुनौती नहीं दी है।

12. इसके विपरीत, बीमा कंपनी के अधिवक्ता का कहना है कि उच्च न्यायालय ने यहां अपीलकर्ताओं की आपत्ति को सही ढंग से खारिज कर दिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि बीमा कंपनी ने अपील पर जोर नहीं दिया था, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिआपत्ति को उचित रूप से खारिज कर दिया गया था।

13. वर्तमान अपील के लिए प्रासंगिक एमवी अधिनियम की धारा 173 और सीपीसी के आदेश 41 नियम 22 के प्रावधान जो वर्तमान अपील के लिये प्रासंगिक है, इस प्रकार है :

एमवी अधिनियम की धारा 173

"173. अपील. (1) उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन, दावा न्यायाधिकरण के पंचाट से व्यथित कोई भी व्यक्ति, पुरस्कार की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है:

बशर्ते कि उस व्यक्ति की कोई अपील, जिसे ऐसे पुरस्कार के संदर्भ में किसी भी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है, उच्च न्यायालय द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने पच्चीस हजार रुपये या इस प्रकार प्रदान की गई राशि का पचास प्रतिशत, जो भी कम हो, जमा नहीं कर दिया हो। बशर्ते कि उच्च न्यायालय नब्बे दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

(2) यदि अपील में विवाद की राशि दस हजार रुपये से कम है तो दावा न्यायाधिकरण के किसी भी पंचाट के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी। सीपीसी का आदेश एक्सएलआई नियम 22

"22। सुनने पर प्रतिवादी डिक्री पर आपत्ति कर सकता है जैसे कि उसने अलग से अपील की हो।- (1) कोई भी प्रतिवादी, भले ही उसने डिक्री के किसी भी हिस्से से अपील नहीं की हो, न केवल डिक्री का समर्थन कर सकता है बल्कि यह भी कह सकता है कि निष्कर्ष उसके खिलाफ है। किसी भी मुद्दे के संबंध में नीचे के न्यायालय में उसके पक्ष में होना चाहिए था; और डिक्री पर कोई भी प्रति आपत्ति भी ले सकता है जिसे वह अपील के माध्यम से ले सकता था, बशर्ते कि उसने सुनवाई के लिए निर्धारित दिन के नोटिस की तामील की तारीख से एक महीने के भीतर अपीलीय न्यायालय में ऐसी आपत्ति दायर की हो। अपील, या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जिसे अपीलीय न्यायालय अनुमति देना उचित समझे। स्पष्टीकरण.- न्यायालय के उस फैसले के निष्कर्ष से व्यथित प्रतिवादी, जिसके खिलाफ अपील की गई डिक्री आधारित है, इस नियम के तहत, डिक्री के संबंध में प्रति-आपत्ति दायर कर सकता है, जहां तक वह उस निष्कर्ष पर आधारित है, इसके बावजूद कि किसी अन्य निष्कर्ष पर न्यायालय के निर्णय का कारण जो मुकदमे के निर्णय के लिए पर्याप्त है, डिक्री, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, उस प्रतिवादी के पक्ष में है।

(2) आपत्ति का रूप और उस पर लागू प्रावधान।—ऐसी प्रतिआपत्ति एक ज्ञापन के रूप में होगी, और नियम 1 के प्रावधान, जहां तक वे अपील के ज्ञापन के रूप और सामग्री से संबंधित हैं, उस पर लागू होंगे।

(3) * * *

(4) जहां, किसी भी मामले में जिसमें किसी प्रतिवादी ने इस नियम के तहत आपत्ति का ज्ञापन दायर किया है, मूल अपील वापस ले ली जाती है या डिफ़ॉल्ट के लिए खारिज कर दी जाती है, इस प्रकार दायर की गई आपत्ति को फिर भी सुना और निर्धारित किया जा सकता है अन्य पक्षों को ऐसा नोटिस, जैसा न्यायालय उचित समझे।

(5) निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपील से संबंधित प्रावधान, जहां तक उन्हें लागू किया जा सकता है, इस नियम के तहत आपत्ति पर लागू होंगे।

14. बिहार मोटर वाहन नियम, 1992 का नियम 249 इस प्रकार है:

"249. अपील का प्रक्रिया

(1) दावा न्यायाधिकरण के खिलाफ प्रत्येक अपील अपीलकर्ता या आवेदक द्वारा विधिवत अधिकृत उच्च न्यायालय के वकील या वकील द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन के रूप में की जाएगी और उच्च न्यायालय या ऐसे अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी यह इस संबंध में नियुक्ति करता है। ज्ञापन के साथ पुरस्कार की एक प्रति संलग्न की जाएगी।

(2) ज्ञापन संक्षिप्त रूप से और जिला प्रमुखों के तहत उस पंचाट पर आपत्ति के आधार को निर्धारित करेगा जिसके खिलाफ अपील बिना किसी तर्क या कथा के की जाएगी और ऐसे आधारों को लगातार क्रमांकित किया जाएगा।

(3) उपनियम (1) और (2) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची में आदेश 41 और आदेश 21 के प्रावधान दीवानी

प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 173 के तहत उच्च न्यायालय यथोचित प में की गई अपीलों पर परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

15. उपरोक्त प्रावधान के मद्देनजर, उच्च न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दावेदार प्रति आपत्ति दायर करने के हकदार होंगे। हालाँकि, इसने दावेदारों के प्रति आपत्ति दायर करने के अधिकार को केवल तभी प्रतिबंधित कर दिया है जब बीमा कंपनी द्वारा पटना उच्च न्यायालय के पिछले निर्णयों पर भरोसा करते हुए मुआवजे की मात्रा को चुनौती देने के लिए अपील दायर की जाती है। यह माना गया है कि जब बीमा कंपनी ने मुआवजे की मात्रा को चुनौती नहीं दी है, बल्कि केवल इस आधार पर मुआवजा देने के अपने दायित्व को चुनौती दी है कि ड्राइवर और/या वाहन के मालिक द्वारा नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया है, तो दावेदारों के कहने पर प्रतिआपत्ति मान्य नहीं होगी।

16. दिल्ली नगर निगम एवं अन्य बनाम_अंतर्राष्ट्रीय_सुरक्षा_और_खुफिया_एजेंसी_लिमिटेड[1]

मामले में इस न्यायालय की विद्वान तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष [1]एक मुद्दा उठा । , क्या मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 39 के तहत एक अपील में, एक प्रतिवादी को प्रति आपत्ति दर्ज करने का अधिकार है और यदि हां, तो क्या प्रति आपत्ति को सुना जाना चाहिए और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। द्वारा अपील जिस पर प्रतिआपत्ति दायर की गई है, उसे सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया है।

17. इस न्यायालय ने उक्त निर्णय में इस प्रकार टिप्पणी:

"14. अपील का अधिकार क़ानून का प्राणी है। अपील का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है। कोई भी अपील तब तक दायर नहीं की जा सकती, सुनी नहीं जा सकती या गुण-दोष के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती जब तक कि क़ानून अपीलकर्ता को अधिकार और अदालत को ऐसा करने की शक्ति प्रदान नहीं करता। अधिनियम की धारा 39 अपील दायर करने का अधिकार प्रदान करती है, जहां तक इस अधिनियम के तहत पारित आदेशों का संबंध है, केवल ऐसे आदेशों के खिलाफ जो धारा 39 उपधारा (i) के खंड (i) से (vi) में दिए गए एक या दूसरे विवरण के अंतर्गत आते हैं। 1) संसद ने अधिनियम के तहत पारित किसी भी आदेश के खिलाफ दायर की जा रही किसी भी अन्य अपील को विशेष रूप से बाहर करने का ध्यान रखा है, लेकिन उपधारा के पाठ में "और किसी अन्य से नहीं" अभिव्यक्ति डालकर, उपरोक्त खंड (i) से (vi) द्वारा कवर नहीं किया गया है। 1). धारा 41 का खंड (ए) नागरिक

---

1 (2004) 3 एससीसी 250

प्रक्रिया संहिता, 1908 में निहित सभी प्रावधानों की प्रयोज्यता को (i) अधिनियम के तहत अदालत के समक्ष सभी कार्यवाहियों, और (ii) अधिनियम के तहत सभी अपीलों तक विस्तारित करता है। हालाँकि, सिविल प्रक्रिया संहिता के ऐसे प्रावधानों की प्रयोज्यता को बाहर रखा जाएगा जो अधिनियम और/या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के साथ असंगत हो सकते हैं। इन प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि धारा 39 के तहत दायर सभी अपीलों में , सिवील प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधान लागू होंगे। इसमें आदेश 41 की प्रयोज्यता शामिल होगी जिसमें अधिनियम की धारा 39 के तहत अपील पर नियम 22 के तहत किसी भी प्रति आपत्ति लेने का अधिकार भी शामिल होगा।

15. प्रति आपत्ति दायर करने का अधिकार अपील दायर करने के अधिकार का हिस्सा है। जब विवादित डिक्री या आदेश आंशिक रूप से एक पक्ष के पक्ष में और आंशिक रूप से दूसरे पक्ष के पक्ष में होता है, तो एक पक्ष मुकदमे को शांत करने की दृष्टि से अपनी आंशिक सफलता से संतुष्ट हो सकता है। हालाँकि, वह अपील करने के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाह सकता है यदि उसे पता चलता है कि दूसरे पक्ष को विवाद को ख़त्म करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने अपीलीय मंच के समक्ष इसे आगे बढ़ाकर मामले को जिवंत रखने का प्रस्ताव रखा है। वह भी ऐसी परिस्थितियों में प्रतिआपत्ति लेकर अपील दायर करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार आक्षेपित डिक्री या आदेश पर कोई भी प्रतिआपत्ति लेना अपील के अधिकार का प्रयोग है, हालांकि इस तरह के अधिकार का प्रयोग प्रतिआपत्ति लेने के रूप में किया जाता है। मूल अधिकार अपील का अधिकार है; प्रतिआक्षेप का रूप प्रक्रिया का विषय है।

16. यद्यपि यहां ऊपर दिए गए कानून का विवरण केवल प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को पढ़ने से ही प्रवाहित होता है, फिर भी कुछ उपलब्ध निर्णयों पर भी ध्यान दिया जा सकता है।

बहादुरमल बनाम बिज़ातुन्निसा बेगम में [AIR 1964 एपी 365: (1964) 1 एन डब्ल्यूआर 290]

जगनमोहन रेड्डी, जे. (तब उनका आधिपत्य था) खंडपीठ की अध्यक्षता की गयी जिसने हैदराबाद जागीरदार ऋण निपटान अधिनियम, 1952 की धारा 47 से 49 के तहत पसंदीदा अपील में प्रतिआपत्ति को बनाए रखने योग्य माना क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान आम तौर पर धारा 51 के आधार पर लागू होते थे । उस अधिनियम के तहत अपीलों पर आदेश 41 नियम 22 की प्रयोज्यता को केवल इसलिए बाहर नहीं रखा गया क्योंकि अपील

के आधार और अदालती शुल्क को नियंत्रित करने वाले प्रावधान विशेष रूप से हैदराबाद अधिनियम में अधिनियमित किए गए थे । इनायतुल्ला खान बनाम दीवानचंद महाजन [एआईआर 1959 एमपी 58: 1958 एमपी एलजे 786] में मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्ला (जैसा कि उस समय उनका आधिपत्य था) ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की 116 ए के तहत एक चुनाव अपील में प्रतिआपत्ति की स्थिरता को बरकरार रखा। ,क्योंकि धारा 116 ए के तहत एक अपील की सुनवाई करने वाली अपीलीय अदालत के रूप में उच्च न्यायालय को समान शक्तियों, क्षेत्राधिकार और अधिकार का प्रयोग करने और उसी प्रक्रिया का पालन करने का आदेश दिया गया था जैसा कि उसने सिवील प्रक्रिया संहित के तहत एक नागरिक अपील के संबंध में प्रयोग या पालन किया होगा। सिविल प्रक्रिया का. रामाश्रय सिंह बनाम बिभीसन सिन्हा [एआईआर 1950 कैल 372] में हैरिस, सीजे और बच्चावत, जे. (जैसा कि उस समय लॉर्डशिप के रूप में) की डिवीजन बेंच ने माना कि बंगाल साहूकार अधिनियम, 1940 की धारा 38 द्वारा अपील का अधिकार प्रदान किया गया है। जिसमें आदेश को उसी तरह से अपील करने योग्य होने की बात कही गई थी जैसे कि यह अदालत का एक डिक्री था, जिसमें प्रतिवादी को प्रतिआपत्ति दायर करने का अधिकार निहित था, क्योंकि अपील सुनने का अधिकार क्षेत्र एक पूर्व-स्थापित दीवानी न्यायालय अर्थात् अदालत को प्रदान किया गया था। जिला न्यायाधीश और ऐसी अपील को विनियमित करने की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बताया गया। ए.एल.ए. अलगप्पा चेट्टियार बनाम चोकलिंगम चेट्टी [एआईआर 1919 मैड 784: आईएलआर 41 मैड 904 (एफबी)] में वालिस, सीजे की अध्यक्षता वाली मद्रास उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने माना कि प्रतिआपत्ति के ज्ञापन के माध्यम से आगे बढ़ना प्रतिवादी का अधिकार है। विपरीत पक्ष द्वारा अपील दायर करने के लिए सख्ती से प्रासंगिक और इसलिए प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1907 की धारा 46 और 47 के तहत अपील में, प्रतिआपत्ति बनाए रखने योग्य थे क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया मानक प्रक्रिया है और दिवालियेपन के मामलों में, शक्तियों का प्रयोग करने वाली अदालतों पर लागू होती है।

17. लाभ के साथ, हम बारू राम बनाम प्रसन्नी [एआईआर 1959 एससी 93: 1959 एससीआर 1403] में की गई इस न्यायालय की टिप्पणियों का भी उल्लेख कर सकते हैं । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 116 ए उस अधिनियम की धारा 98 या धारा 99 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने का प्रावधान करती है। धारा 116 सी ऐसी प्रत्येक अपील की सुनवाई और

निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथासंभव उच्च न्यायालय द्वारा अपने मूल दीवानी क्षेत्राधिकार के अधीन पारित किसी भी अंतिम आदेश की सुनवाई और निर्धारण के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार करने का प्रावधान करती है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के सभी प्रावधान और न्यायालय के नियम, जहां तक संभव हो, ऐसी अपील के संबंध में लागू होंगे। पीबी गजेंद्रगडकर, जे. (जैसा कि उस समय लॉर्डशिप के रूप में) ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा: (ए.आई.आर. पृष्ठ 99, पैरा 11)

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि, एक सामान्य दीवानी अपील में, प्रतिवादी डिक्री का समर्थन करने का हकदार होगा। विचारण कोर्ट द्वारा उसके पक्ष में पाए गए आधारों के अलावा अन्य आधारों पर अपील। सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 41 नियम 22, जो प्रतिवादी को प्रतिआपत्ति दायर करने की अनुमति देता है, नीचे की अदालत द्वारा उसके खिलाफ तय किए गए किसी भी आधार पर डिक्री का समर्थन करने के प्रतिवादी के अधिकार को मान्यता देता है। वर्तमान मामले में प्रतिवादी 1 द्वारा कोई अपील नहीं की जा सकती थी क्योंकि वह यह घोषणा प्राप्त करने में सफल रही थी कि अपीलकर्ता का चुनाव शून्य था और इसलिए उसे अन्य निष्कर्षों का तर्क देकर उच्च न्यायालय के अंतिम निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए खुला होना चाहिए। हाईकोर्ट द्वारा दर्ज की गई जो बात मामले की तह तक जाएगी वह गलत है। प्रथम दृष्टया इस विवाद में कुछ दम प्रतीत होता है;" हालाँकि, न्यायालय ने उस पर कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं की क्योंकि उस अपील में बिंदु तय करना आवश्यक नहीं माना गया था।

18. इसलिए, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि प्रतिआपत्ति लेने का अधिकार क़ानून द्वारा प्रदत्त अपील के वास्तविक अधिकार का प्रयोग है। आक्षेपित निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध चुनौती के उपलब्ध आधार वही रहते हैं, चाहे वह अपील हो या प्रतिआपत्ति। अंतर अधिकार का प्रयोग करने के स्वरूप और तरीके में है; सीमा का यथास्थिति (प्रारंभिक बिंदु) भी भिन्न होता है।

19. अधीक्षण अभियंता बनाम बी. सुब्बा रेड्डी [(1999) 4 एससीसी 423] में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा (एससीसी पृष्ठ 434, पैरा 24 के अनुसार):

"यदि अधिनियम की धारा 39 के तहत क्रॉसऑब्जेक्शन का कोई अधिकार नहीं दिया गया है, तो इसे अधिनियम की धारा 41 में नहीं पढ़ा जा सकता है। प्रतिआपत्ति दाखिल करना प्रक्रियात्मक प्रकृति का नहीं है। अधिनियम की धारा 41 केवल यह निर्धारित करती है

कि संहिता की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 39 के तहत अपील पर लागू होगी। इसलिए, हमारी राय है कि प्रतिवादी की ओर से की गई आपत्ति सुनवाई योग्य नहीं है...

" ऐसा अवलोकन सही नहीं है और कुछ गलत आधारों पर आगे बढ़ता है। सबसे पहले, प्रतिआक्षेप का रूप प्रक्रियात्मक है और यह केवल अपील के अधिकार का प्रयोग करने का एक तरीका है जो वास्तविक है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। दूसरे, यह केवल सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नहीं है जिसे मध्यस्थता अधिनियम की धारा 41 (ए) के तहत कार्यवाही पर लागू किया गया है; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के संपूर्ण निकाय अदालत के समक्ष सभी कार्यवाहियों और मध्यस्थता अधिनियम , 1940 के तहत सभी अपीलों पर लागू किया गया है। प्रावधान अपनी प्रयोज्यता में सामान्य और व्यापक है जिसे कम नहीं किया जा सकता है; एकमात्र अपवाद वह है जहां मध्यस्थता अधिनियम और/या उसके तहत बनाए गए प्रावधान नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के साथ असंगत हो सकते हैं, उस स्थिति में बाद की प्रयोज्यता को बाहर रखा जाएगा, लेकिन केवल विसंगति के सीमा तक । हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि बी. सुब्बा रेड्डी मामले [(1999) 4 एससीसी 423] में निर्धारित कानून के साथ हमारी असहमति की सीमा तक, उस मामले में प्रस्ताव को व्यापक रूप से कहा गया प्रतीत होता है। वास्तव में बी सुब्बा रेड्डी मामले [(1999) 4 एससीसी 423] में न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या उच्च दर पर ब्याज देने की राहत की मांग करने वाली प्रतिआपत्ति स्वीकार्य थी, हालांकि ऐसा आदेश अधिनियम धारा 39 के दायरे में नहीं आता था।

20. एक बार जब हम मानते हैं कि प्रतिआपत्ति लेकर जो प्रयोग किया जा रहा है वह अपील का अधिकार है, तो इसका मतलब यह है कि प्रतिआपत्ति का विषय और उसमें मांगी गई राहत धारा 39(1) की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए । दूसरे शब्दों में, यदि आवेदक अधिनियम की धारा 39(1) के प्रावधानों के अनुरूप अपील दायर करके समान राहत की मांग कर सकता है तो प्रतिआपत्ति को प्राथमिकता दी जा सकती है। यदि प्रतिआपत्ति का विषय ऐसे आदेश को लागू करना है जो अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के खंड (i) से (vi) द्वारा विचार की गई किसी भी श्रेणी के दायरे में नहीं आता है, तो प्रतिआपत्ति विचारनीय योग्य नहीं होगा।"

18. इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने माना है कि प्रतिआपत्ति को प्राथमिकता देने का अधिकार अपील पसंद करने के अधिकार का हिस्सा है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब विवादित डिक्री या आदेश आंशिक रूप से एक पक्ष के

पक्ष में और आंशिक रूप से दूसरे पक्ष के पक्ष में होता है, तो एक पक्ष मुकदमेबाजी को शांत करने की दृष्टि से अपनी आंशिक सफलता से संतुष्ट हो सकता है। हालाँकि, यह यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कि यदि उसे पता चलता है कि दूसरे पक्ष को मुकदमे को समाप्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने अपीलीय मंच के समक्ष मामले को आगे बढ़ाकर मामले को जीवित रखने का प्रस्ताव रखा है, तो वह अपील के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाह सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वह भी ऐसे मामलों और परिस्थितियों में प्रतिआपत्ति लेकर अपील दायर करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इसके बाद यह माना गया है कि डिक्री या आदेश पर कोई भी प्रतिआपत्ति लेना अपील के अधिकार का प्रयोग है, हालांकि इस तरह के अधिकार का प्रयोग प्रतिआपत्ति लेने के रूप में किया जाता है। यह माना गया है कि मूल अधिकार अपील का अधिकार है और प्रति आपत्ति का रूप प्रक्रिया का विषय है।

19. उक्त निर्णय पर पहुंचते समय, इस न्यायालय ने भादुरमल बनाम बिज़ातुन्निसा बेगम[2] के मामले में फैसले पर भरोसा किया , जिसमें हैदराबाद जागीरदार ऋण समझौता अधिनियम, 1952 की धारा 47 से 49 के तहत किया गया अपील में प्रतिआपत्ति की स्थिरता के संबंध में एक मुद्दा था जिस पर विचार किया गया। इसने इनायतुल्ला खान बनाम दीवानचंद महाजन[3] के मामले में फैसले पर भी भरोसा किया , जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 116 ए के तहत एक चुनाव अपील में प्रतिआपत्ति की स्थिरता को बरकरार रखा गया था। इसने रामाश्रय सिंह और अन्य बनाम बिभीसन सिन्हा[4] के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया और बंगाल धन - ऋणदाता अधिनियम, 1940 की धारा 38 के तहत विचार की गई अपील में प्रतिवादी के प्रतिआपत्ति दायर करने के अधिकार को बरकरार रखता है।

20. इसने बारू राम बनाम प्रसन्नी[5] के मामले में इस न्यायालय की कुछ टिप्पणियों पर भी भरोसा किया । यह न्यायालय अधीक्षण अभियंता और अन्य_बनाम बी सुब्बा रेड्डी[6]

---

2 ए.आई.आर.1964 एपी 365

3 ए.आई.आर.1959 एमपी 58

4 ए.आई.आर.1950 सीएएल 372

के मामले में इस न्यायालय की विद्वान दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अपनाए गए विपरीत दृष्टिकोण से सहमत नहीं था। हालाँकि, ऐसा अभिनिर्धारित करते

हुए, इस न्यायालय ने माना कि चूंकि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 39 के तहत अपील करने का अधिकार केवल उपधारा (1) खंड (i) से (1v) के अनुसार, प्रतिआपत्ति भी उक्त आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह माना गया कि एक प्रतिआपत्ति तभी कायम रखा जा सकता है, जब उसका विषय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 39 की उपधारा (1) के खंड (i) से (vi) के तहत बनाई गई किसी भी श्रेणी में आता हो।

21. इस न्यायालय ने आगे पाया कि संपूर्ण आदेश 41 नियम 22 सीपीसी उसके उपनियम (4) के प्रावधानों सहित एक प्रतिआपत्ति पर लागू होगा। यह माना गया कि यदि मूल अपील धारा 39 की उपधारा (1) के किसी भी खंड (i) से (vi) के अंतर्गत नहीं आने वाले आदेश के खिलाफ दायर की गई है, तो अक्षम या बनाये रखने योग्य नहीं पाई जाती है, तो प्रतिआपत्ति भी उस आधार पर विफल हो जाएगी और गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण यह है कि प्रति आपत्ति तभी मान्य होगी जब अपील वैध रूप से मान्य हो।

22. एमवी अधिनियम की धारा 173 के अवलोकन से पता चलेगा कि उक्त प्रावधान अपील दायर करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करता है जैसा कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 39 के तहत प्रतिबंधित है। यह प्रदान करता है, कि कोई भी व्यक्ति किसी पंचाट से पीड़ित है तो दावा न्यायाधिकरण, उसकी उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

धारा 173 की उपधारा (2) के तहत लगाया गया प्रतिबंध दावा न्यायाधिकरण के किसी भी पंचाट के खिलाफ अपील दाखिल न करने के संबंध में है, यदि अपील में विवाद की पंचाट राशि दस हजार रुपये से कम है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह परिसीमन संबंधी प्रावधानों के अधीन है।

23. जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वयं यह म**त** अभिव्यक्त किया है कि बिहार मोटर वाहन नियम, 1992 के

---

5 ए.आई.आर.1959 एससी 93

6 (1999) 4 एससीसी423

नियम 249 के मद्देनजर, प्रतिआपत्ति की वैधता के संबंध में कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। बिहार मोटर वाहन नियम, 1992 के नियम 249 के उपनियम (3) से पता चलता है कि उपनियम (1) और (2) में दिए गए प्रावधानों के अलावा, सिविल प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची में आदेश 41 और आदेश 21 के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे जो एम.वी. अधिनियम की धारा 173 के तहत उच्च न्यायालय में अपील की जाती है ।

24. एमवी अधिनियम की धारा 173 के प्रावधानों; बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के नियम 249; और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 22 को संयुक्त रुप अध्ययन से पता चलेगा कि किसी भी पक्ष के अपील करने के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह स्पष्ट है कि पंचाट के किसी भी भाग से व्यथित कोई भी पक्ष अपील करने का हकदार होगा। यह भी स्पष्ट है, कि कोई भी प्रतिवादी, भले ही उसने डिक्री के किसी भी हिस्से से अपील नहीं की हो, अपने पक्ष में निष्कर्ष का समर्थन करने के अलावा, डिक्री पर कोई भी प्रतिआपत्ति करने का भी हकदार है जिसे वह अपील के माध्यम से कर सकता था। .

25. जब किसी अपील में अपीलकर्ता किसी भी आधार को जिससे वह व्यथित था उठा सकता है तो हम यह समझने में विफल रहते हैं कि एक प्रतिवादी को दूसरे पक्ष द्वारा दायर अपील में प्रतिआपत्ति दायर करने से कैसे इनकार किया जा सकता है जो उस हिस्से को चुनौती देता है जिससे वह व्यथित थे। हम पाते हैं, कि उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया उक्त भेद एम.वी. अधिनियम की धारा 173 के प्रावधानों , बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के नियम 249 ; और सीपीसी का आदेश एक्सएलआई नियम 22 के संयुक्त रूप से पढ़ने के अनुरूप नहीं है

26. वास्तव में, यह उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरदाताओं (बीमा कंपनी) द्वारा की गई अपील में प्रार्थना खंड से देखा जा सकता है कि पूरे पंचाट को उत्तरदाताओं - बीमा कंपनी द्वारा चुनौती दी गई थी। इतना ही नहीं, बल्कि यहां अपीलकर्ताओं (दावेदारों) को उक्त अपील के प्रतिवादी पक्ष के रूप में भी शामिल किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने यहां अपीलकर्ताओं (दावेदारों) की आपत्ति पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने से इनकार करके गलती की है।

27. इसका एक और पहलु है. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 के नियम 22 के उपनियम (4) में विशेष रूप से प्रावधान है, कि भले ही मूल अपील वापस ले ली जाती है या डिफ़ॉल्ट के लिए खारिज कर दी जाती है, फिर भी अन्य पक्षों को ऐसे नोटिस के बाद

प्रतिआपत्ति को सुना जाएगा और निर्धारित किया जाएगा जैसा कि अदालत उचित समझती है। .

इसलिए, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है, कि भले ही बीमा कंपनी की अपील डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दी गई थी और बीमा कंपनी ने प्रस्तुत किया था कि उन्हें अपील को पुनर्जीवित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी उच्च न्यायालय को प्रतिआपत्ति पर अपीलकर्ता गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार निर्णय लेने की आवश्यकता थी

28. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 21.1.2016 को यह कहते हुए कि वर्तमान अपीलकर्ताओं की प्रति आपत्ति सुनवाई योग्य नहीं थी, रद्द कर दिया गया और खारिज कर दिया गया। वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा दायर प्रतिआपत्ति उच्च न्यायालय को वापस अपनी योग्यता के आधार पर निर्णय हेतु भेज दिया गया है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

अपील स्वीकृत

Rajendra Prasad

Pages 498 to 513